भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू – 181133

निविदा स्चना

भारतीय मानक ब्यूरो निम्निलिखित विवरण के अनुसार योग्य फर्मों/कंपनियों से अपने कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू - 181133 के लिए "श्रमशक्ति सेवाएँ किराए पर लेने के लिए" द्विबोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के तहत मुहर बंद बोलियाँ आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज़ को हमारी वेबसाइट www.bis.org.in या www.eprocure.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है

बोलियों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय 16 नवम्बर 2016 (बुधवार) को 1400 बजे तक है और तकनीकी बोली उसी दिन 1500 बजे खोली जाएगी |

ब्यूरो कोई कारण बताये बिना किसी बोली या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

> अनुभाग अधिकारी जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू - 181133 फोन नं0 01923- 222690

भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू – 181133

निविदा दस्तावेज

भारतीय मानक ब्यूरो निम्नलिखित विवरण के अनुसार योग्य बोलीदाताओं से अपने कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू - 181133 के लिए " श्रमशक्ति सेवाएं किराए पर लेने हेतु" "द्विबोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के तहत मुहर बंद बोलियाँ आमंत्रित करता है। योग्य बोलीदाता के लिए आवश्यक ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं	श्रेणी	संभावित अपेक्षाएं
1	आशुलिपिक(कुशल)	1
2	बहुकार्य निष्पादन स्टॉफ (अकुशल)	1
	कुल	2

1. योग्यताः

- बोलीदाता के पास बड़ी ब्राहमण, जम्मू में श्रमशक्ति सेवाएं प्रदान करने हेतु तैनात कार्मिक के लिए संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन),
 1970 के अंतर्गत का लाइसेंस होना चाहिए
- उनके पास बड़ी प्राइवेट फर्मीं, भारत सरकार के विभागों / मंत्रालयों / पीएसयू / बड़े प्रसिद्द निजी संस्थाओं में श्रमशक्ति सेवाएँ प्रदान करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो | (वर्तमान वित्तीय वर्ष सिहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों / पीएसयू से प्राप्त दो वर्षों के कार्य करने के आदेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करें)
- बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया वैध पैन कार्ड हो एवं वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , कर्मचारी राज्य बीमा निगम , सर्विस टैक्स विभाग के साथ पंजीकृत हो |(सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न किया जाए)
- पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसे ही सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम10 लाख की टर्न ओवर होनी चाहिए | (पिछले तीन वर्षों के वार्षिक लेखे की प्रतियां संलग्न की जाएं।)
- उसे भारत सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के विभागों/ मंत्रालयों द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। (निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत की जाए)

2.दर संविदा की प्रस्तावित वैधता- तीन वर्ष। 3.निविदा दस्तावेजों की उपलब्धताः

स्थान - भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू - 181133 एवं भा0 मा0 ब्यूरो की वेबसाईट : www.bis.gov.in एवं www.eprocure.gov.in

अवधि: 25 अक्टूबर 2016 से 16 नवम्बर 2016 तक ।

4.बोलियों से पूर्व कॉन्फ्रेंस - 09 नवम्बर 2016 को 1500 बजे

5.बोलियां खोलना- तकनीकी बोलियाँ दिनांक 16 नवम्बर 2016 को 1500 बजे खोली जाएंगी। 6.बोलियां जमा कराने की पद्धति/तरीकाः एक लिफाफे पर भा माब्यूरो, जम्म्-कश्मीर शाखा कार्यालय, बड़ी ब्राहमण, जम्मू में "श्रमशक्ति सेवाएँ प्रदान करने हेतु निविदा" लिखकर उसमें दो लिफाफे 'तकनीकी बोली' एवं 'वित्तीय बोली' लिखें और उन पर पार्टी का नाम एवं पता लिखकर अनुभाग अधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू - 181133के नाम सम्बोधित करें।

- 7. धरोहर राशि जमा: रू०10,000/- (दस हजार रू० मात्र) ।
- 8. कार्यकारिता प्रतिभूति जमा रू॰22,000/- (बाईस हजार रू॰ मात्र)
- 9. बोलियों की बैधता तकनीकी बोली के खुलने से 90 दिन तक । 10.ब्यूरो कोई कारण बताये बिना किसी बोली या सभी बोलियों को करने का अधिकार स्रक्षित रखता है।

अनुभाग अधिकारी जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू - 181133

निविदा दस्तावेज़

अनुसूची – 1 बोली दाताओं के लिए निर्देश

1. बोली आमंत्रण की सूचना

1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू – 181133, निविदा दस्तावेज़ की अनुसूची 2 में दर्शाए गए निर्देशानुसार " श्रमशक्ति सेवाएं किराए पर लेने हेतु दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत योग्य बोलीदाताओं से मुहरबंद बोली आमंत्रित करता है।

2. निविदा दस्तावेज़ जारी करना

- 2.1 अनुसूची 4 में दर्शाए गए रिक्त निविदा दस्तावेज़ कार्यालय अवधि के दौरान उपलब्ध होंगे |
- 2.2 खाली निविदा दस्तावेज़ ब्यूरों की वेबसाइट <u>www.bis.org.in</u> एवं <u>www.eprocure.gov.in</u> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.3 टेंडर जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज़ में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली में ही शामिल करने के लिए शुद्धि पत्र/परिशिष्ट के रूप में संभावित बोलीदाताओं के लिए सूचित किया जाएगा।
- 2.4 कहीं भी बोली दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन और परिवर्धन की अनुमित नहीं है। इनमें से किसी भी प्रकार का त्रुटि पाए जाने पर बोली को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।
- 2.5 बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने के साथ जुड़े सभी लागत वहन करेगा । ब्यूरो, किसी भी मामले में, चाहे संचालन हो या बोली लगाने की प्रक्रिया के परिणाम हो, इन लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. बोली/अनुबंध की भाषा - बोली की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी होगी और सभी पत्राचार अंग्रेजी/हिन्दी आदि में किए जाएंगे।

4. बोलियों से पूर्व कॉन्फ्रेंस

4.1 बोली से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं की कॉन्फ्रेंस अनुसूची 4 में दर्शाई गई निर्धारित दिनाक एवं समय पर आयोजित की जाएगी। इचछुक बोलीदाता को किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने की अनुमति होगी।

5. बोलियों की वैधता

5.1 बोलियाँ इसके खुलने की तिथि से 90 दिन की अविध के लिए वैद्य होगी।

6 धरोहर जमा राशि / बोली प्रतिभूति

- 6.1 बोलीदाता द्वारा व्याज मुक्त धरोहर राशि (ईएमडी) के अनुसार अनुसूची 4 में दर्शाई गई राशि ब्यूरो के पास जमा की जाएगी | दर्शाई गई राशि डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में या अनुसूची 7 के अनुलग्न 1 में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी |
- 6.2धरोहर जमा राशि जमा करने में चूक या त्रुटि बोली को अयोग्य करेगी तथा ब्यूरो ऐसी किसी प्रकार की अयोग्य बोली/बोलियों पर विचार नहीं करेगा ।
- 6.3 बोलीदाता बोली के वैध अविध के दौरान ब्यूरों की सहमित के बिना अपनी बोली को वापिस नहीं लेगा और इसके नियमों या शर्तों में बदलाव नहीं करेगा | यदि बोलीदाता बोली को रद्द करता है या शर्तों या निबंधनों में बदलाव करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को ब्यूरो उसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब्त कर लेगा।
- 6.4 यदि सफलतम बोलीदाता निर्धारित सीमा में निष्पादन प्रतिभूति का भुगतान नहीं करता है या अनुबंध बॉन्ड को हस्ताक्षरित करने से चुकता है तो ब्यूरो द्वारा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी |

6.5 असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) सफल बोलीदाता ब्यूरो को अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद तथा संविदा को हस्ताक्षरित करने के बाद या बोलियों की वैधता अविध के समाप्ति के तीस दिनों के बाद इसमें से जो भी पहले हो, वापस लौटा दी जाएगी।

7 योग्य बोलीदाता

- बोलीदाता के पास श्रमशक्ति सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्मिक तैनात करने के लिए संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन), 1970 के अंतर्गत का लाइसेंस होना चाहिए | (सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाए)
- उनके पास भारत साकार के विभागों / मंत्रालयों / पीएसयू / बड़े प्रसिद्द निजी संस्थाओं में श्रमशक्ति सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो | (पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों / पीएसयू से प्राप्त दो वर्षों के कार्य करने के आदेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करें)
- बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया वैध पैन कार्ड हो एवं वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , कर्मचारी राज्य बीमा निगम , सर्विस टैक्स विभाग के साथ पंजीकृत हो |(सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न किया जाए)
- पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसे ही सेवाएँ प्रदान करने के लिए
 प्रतिवर्ष न्यूनतम रू 10 लाख की टर्न ओवर होनी चाहिए |
- उसे भारत सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के विभागों/ मंत्रालयों द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। (निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा प्रस्तृत की जाए)

8- दरंं कैसे उद्दत की जाएगी

8.1 बोलीदाता से कार्य क्षेत्र/ अन्य शर्तों के मद्देनजर अपनी दरें निकालने तथा दरें उद्धृत करने की अपेक्षा की जाती है | बोली देने से पूर्व, बोलीदाता ने अपनी बोलियों के संबंध में उनका यथा संभव तथा प्रयाप्त संलग्न अनुसूचियों में उद्दृत दरों एवं मूल्य के बारे में संतुष्टि कर ली है, ऐसा समझा जाएगा | इन दरों एवं मूल्यों में संविदा के तहत इसकी सभी बाध्यता तथा उनकी देयता समुचित रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक चीजें, तथा अन्यथा उपबंधों को छोड़कर शामिल होगी |

- 8.2 अनुसूची 5 की सारणी क में दी गई वित्तीय बोली में किसी प्रकार के सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा कर या कोई अन्य कर शामिल न हों। सरकार द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाल कर बोलीदाता द्वारा बोली में उद्दृत दरों के अतिरिक्त बोलीदाता से ही वसूल किए जाएंगे।
- 8.3 उद्धृत की गई समेकित मासिक राशि कीमतों में सभी प्रभार जैसे ई पी एफ, पी एफ, उपदान, बोनस, प्रतिस्थापन आदि के लिए दिए गए योगदान भी शामिल होंगे। इसमें प्रशिक्षण एवं वर्दी की लागत, कंपनी की देखरेख आदि का खर्च भी शामिल होगा। बोलीदाता द्वारा प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग प्रति व्यक्ति समेकित मासिक राशि (न्यूनतम मजदूरी, ई एस आई सी, ई पी एफ आदि सहित)भी उद्धृत की जाए।
- 8.4 बोलीदाता को अनुसूची 5 की सारणी ख में मासिक समेकित राशि का विवरण (कीमतों का ब्यौरा) उद्धृत करना चाहिए।
- 8.5 कीमतें एक वर्ष की अविध के लिए वैद्य होंगी। फिर भी जम्मू एवं कश्मीर राज्य. द्वारा न्यूनतम मज़दूरी में संशोधन किए जाने पर ब्यूरो भी उनमें संशोधन कर देगा। किन्तु न्यूनतम मजदूरी में संशोधन होने पर ठेकेदार का पूर्ण लाभ (प्रतिशत रूप से नहीं) संविधा अविध के दौरान उसके द्वारा बोली में उद्धृत किए गए अनुसार समान रहेगा।

9 बोली जमा करने का ढंग :

- 9.1 पूर्ण बोली अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार बोली बॉक्स में अथवा डाक द्वारा तय निर्धारित समय से पूर्व तय स्थान तक पहुंचायी जाए |
- 9.2 ईमेल या फ़ैक्स वाले प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएंगे |

10 बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि

- 10.1 मुहर बंद बोलियाँ निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और दिनांक तक या पूर्व ऊपर दिए गए पते पर प्राप्त की जाएगी | निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा अतः ऐसी बोलियाँ रद्द कर दी जाएगी तथा बोलीदाताओं को खोले बिना ही लौटा दी जाएगी |
- 10.2 बोली प्रस्ताव जमा करने की निर्दिष्ट तिथि पर छुट्टी घोषित किए जाने के मामले में अगले कार्यालयी दिवस को नियत समय तक प्राप्त किया जाएगा |

11. प्रस्ताव में संशोधन एवं वापसी

11.1 बोलीदाता प्रस्ताव जमा करवाने के पश्चात उसे वापस भी ले सकता है बशर्ते की प्रस्ताव जमा करवाने की निर्धारित तिथि और समय से पूर्व ब्यूरो को उसके द्वारा प्रस्ताव वापस लेने से संबंधी नोटिस प्राप्त हो जाए |

12. बोली दस्तावेज की अंतर्वस्तु

12.1 बोलियाँ दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) में आमंत्रित की जाती है | बोलियाँ अनुसूची 4 में उल्लेखानुसार मुहर बंद लिफाफे पर " श्रमशक्ति की सेवाएं किराए पर लेने हेत्" लिख कर जमा की जाएगी |

12.2 लिफाफे में निम्नलिखित रखें:

- क) लिफाफा नं 1 (तकनीकी बोली) : इसमें निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम और शर्तों के साथ-साथ सभी तकनीकी विवरण शामिल करने चाहिए ।
 - 1. संलग्न सभी दस्तवेजों की सूची
 - 2. निविदा दस्तावेज़ के खंड 6.1 में वर्णित ईएमडी
 - 3. बड़ी ब्राहमण, जम्मू में श्रमशक्ति सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्मिक तैनात करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से वैध लाइसेंस की सत्यापित प्रतियाँ
 - संबंधित अधिकारी को भरे गए अन्तिम आय कर रिटर्न एवं सेवा कर रिटर्न की प्रतियाँ
 - 5. फर्म(फर्मों)के विवरण जिनमें पत्राचार के लिए नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल इत्यादि के साथ मिलिक/साथी/निदेशक के विवरण शामिल हों। (अनुसूची 7 के अन्बंध 2)
 - 6. एक फर्म के मामले में, प्रत्येक पार्टनर या अटॉर्नी (मुख्तारनामा)धारक बोली पर हस्ताक्षर करेगा । बोली पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रतियाँ बोली के साथ संलग्न की जाएगी । पावर ऑफ अटार्नी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी । प्राइवेट लि॰/पब्लिक लि॰ कंपनियों के मामले में पावर ऑफ अटार्नी के सहायक बोर्ड संकल्प एवं उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराये जाएंगे ।

- 7) सभी पृष्ठ और चिपकाई गई स्लिपों पर बोलीदाता द्वारा नम्बर लगाए जाएं और हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कोई पृष्ठ बोली दस्तावेज़ के सेट से जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा । विधिवत हस्ताक्षर किए गए बोली दस्तावेज़ अपनी स्वीकृति की निशानी के रुप मे वापस किए जाएंगे।
- 8) बोलीदाता द्वारा पिछले तीन (3) वर्ष (अनुसूची 7 के अनुलग्न 3) में किए गए कार्य/सेवा को दर्शाने वाला विवरण
- 9) काली सूची और/या मुकदमों (अनुसूची 7 के अनुलग्न 4) के बारे में एक घोषणा।
- ख) लिफाफा सं 2 (वित्तीय बोली) इस लिफाफे मे अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित स्थानों पर श्रेणियों के हिसाब से सेवाओं की कीमतें हों। इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण रूप से भरकर इसके प्रत्येक पृष्ठ और बोली के निर्दिष्ट स्थानों पर हस्ताक्षर किए जाएं। खंड 8 के निर्देशों का ध्यान रखा जाए।
- ग) लिफाफा कवर : दोनों लिफाफे 1 एवं 2 को एक साथ एक कॉमन मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा तथा इस पर अनुसूची 4 के दर्शाए गए के अनुसार ' श्रमशक्ति सेवाएँ किराए पर लेने के लिए बोली ' तथा बाई ओर नीचे बोलीदाता का नाम और पता लिखा जाए |

13. बोलीदाता द्वारा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- क) वित्तीय निविदा उपयुक्त स्थानों (अनुसूची 5) पर शब्दों और अंकों, दोनों में लिखा जाना चाहिए।
- ख) यदि बोलीदाता लाभ अथवा सेवा प्रभारों के लिए "कुछ नहीं " उद्धृत करता है तो उसकी बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ख) बोलीदाता वही बोली प्रस्तुत करेगा जो निविदा दस्तावेज़ में दी गई प्रत्येक शर्त को संतुष्ट करेगा। ऐसा न होने पर बोली को रद्ध कर दिया जाएगा। सशर्त बाकी बोलियों को रद्ध कर दिया जाएगा।

14. बोली को खोलना

14.1 निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोली को अनुसूची 4 (यदि संभव हो), में दर्शाए गए इस कार्यालय में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बोलीदाताओं के सामने या प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो बोली खोलने के दिन निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे।

15 बोलीदाताओं का लघ्सूचीयन अर्थात् छँटाई

15.1 तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ निर्धारित तिथि एवं समय पर बोलदाताओं के प्रतिनिधियों के सामने खोली जाएंगी जो उपस्थित होना चाहते हों तथा जिनकी तकनीकी बोलियां सफल हुई हों।

16 वित्तीय बोलियाँ खोलना

16.1 ब्यूरो निर्दिष्ट तिथि को लिफाफा सं 2 खोलेगा तथा बोलीदाता द्वारा मूल्य तालिका (अनुसूची 5) में बोलीदाता द्वारा उद्धत दरों को बोलीदाताओं के उन प्रतिनिधियों के समक्ष पढ़ा जाएगा जो वित्तीय बोली के दौरान उपस्थित होना चाहते हों विभिन्न श्रेणियों के लिए श्रमशक्ति की संभावित अपेक्षाओं के आधार पर वित्तीय बोलियों की समीक्षा की जाएगी।

17 बोली की स्वीकार्यता

17.1 ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता की जाएगी । ब्यूरो न्यूनतम या किसी निश्चित बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना किसी कारण बताए प्राप्त बोली या बोलियों में से किसी या सभी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफल बोलीदाता को स्वीकार्यता भिजवाई जाएगी।

18 प्रक्रिया को गोपनीय रखना

18.1 बोलियों के परीक्षण, मूल्यांकन और तुलना संबंधी सूचना तथा संविदा को प्रदान करने संबंधी सूचना बोलीदाताओं अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को , जोकि अधिकारिक रूप से ऐसी प्रक्रिया से संबंध न रखता हो , तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक कि सफल बोलीदाता को काम प्रदान करने के संबंध में घोषणा न कर दी गई हो।

19. संविदा दस्तावेज़ का निष्पादन

19.1 सफल बोलीदाता को कार्यकारिता प्रतिभूति को जमा करवाने के बाद 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न फार्म में डुप्लीकेट प्रतियों में करार करना अपेक्षित है। करार बोली स्वीकार करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना चाहिए। संविदा (सी ओ सी) में यथा निर्दिष्ट करार, संविदा की शर्त (सी ओ सी) एवं अन्य दस्तावेजों द्वारा शासित की जाएगी।

19.2 सफलतम बोलीदाता को निष्पादन की तिथि पर अनुबंध के लिए लागू स्टाम्प इयूटी, विधिक एवं वैधानिक प्रभार वहन करने होंगे।

20. ब्यूरो के अधिकार

20.1 ब्यूरो को इस बोली में दिए गए कार्यक्षेत्र को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने/घटाने का अधिकार है। श्रमशक्ति सेवाओं को किराए पर लेकर दो या अधिक भागों में बांटने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरक्षित है और एक से अधिक एजेंसियों को अनुबंध प्रदान करने का अधिकार भी स्रक्षित है।

20.2 निविदा दस्तावेज़ के किसी खंड या संविदा की शर्तों की व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में ब्यूरो द्वारा खंडो की व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

21. संविदा का भाग बनाने संबंधी सूचना

21.1 निविदा सूचना एवं दिये गए निर्देश संविदा के भाग होंगे।

अनुसूची- 2

संविदा की शर्ते :

1. परिभाषाएँ:

- 1. 'अनुलग्नक' से अभिप्राय इन शतों में संदर्भित निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबंध अनुलग्नक से है।
- 2. 'अनुमोदित' से अभिप्राय पिछले मौखिक अनुमोदन के बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन है तथा अनुमोदन से अभिप्राय है की यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन से है।
- 3. 'बोली' से तात्पर्य कार्यालय में श्रमशक्ति सेवा हेतु ब्यूरो को प्रस्तावित संविदाकार ने मूल्य तथा संविदा, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य संस्थापन एवं सेवाओं के प्रावधान सहित इसके अनुसार किसी प्रकार की कमियों के उपचार से है।
- 4. 'ब्यूरो 'से तात्पर्य है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित किए गए भारतीय मानक ब्यूरो से है ।
- 5. 'आरम्भ तिथि' से तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से ठेकेदार निर्दिष्ट स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने का नोटिस प्राप्त करता है।
- 6. 'सक्षम अधिकारी' से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी से है ।
- 7. 'संविदा' से तात्पर्य है, निविदा सूचना हेतु बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृत, आपकी शर्ते तथा बताए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ से है ।
- 8. 'संविदा राशि' से तात्पर्य संविदाकार, द्वारा उसकी बोली में उद्धत की गई एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य राशि से है।

- 9. 'संविदाकार' से तात्पर्य किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या नहीं, से है जो अनुबंध के लिए वचन देते हैं और इसमें ऐसे व्यक्तियों, फर्मों अथवा गैर निगमित कम्पनियों के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्मों या कंपनी के उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।
- 10. 'महानिदेशक' से तात्पर्य है, ब्यूरो का महानिदेशक, उस कार्यालय का समय समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे।
- 11. 'सरकार'से अभिप्राय है, केद्रीय सरकार ।
- 12. 'स्वीकार्यता पत्र' से अभिप्राय है, ब्यूरो द्वारा आधिकारिक स्वीकृति । 'सेवाओं' से अभिप्राय है, संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज़ में विहित की गई अन्य सेवाएँ शामिल होगी।
- 13. 'विशिष्ट' से अभिप्राय है, निविदा में संदर्भित विशिष्ट । जहां कोई विशेष विशिष्ट न दी गई हो तो ब्यूरो की सम्बद्ध विशिष्ट लागू होगी ।
- 14. 'निविदा' से तात्पर्य है, संविदा आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो श्रमशक्ति सेवा हेतु तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण।
- 15. 'पूर्णता समय' से अभिप्राय निविदा में बताए गए अनुसार कार्य आरंभ करने की तिथि से लेकर गणना की गई उस समय से है जो श्रमशक्ति सेवाएं प्रदान करने में लगेगा।
- 16. बी आई एस से अभिप्राय भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित किए गए भारतीय मानक ब्यूरो से है ।

2. संविदा की पार्टियाँ

- 2.1 संविदा की पार्टियाँ हैं वह ठेकेदार जिसके प्रस्ताव को ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है और ब्यूरो।
- 2.2 प्रस्ताव या फ़र्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति, संविदा से संबद्ध कभी मामलो में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या

फ़र्म को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा । यदि यह पाया गया कि संबद्ध व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकारी नहीं है, ब्यूरो, अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाए रख सकता है तथा / या फ़र्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेतु देय होती है।

3. निष्पादन प्रतिभूति

- 3.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, व्याज-मुक्त निष्पादन प्रतिभूति, अनुसूची-4 में यथा वर्णित राशि हेतु, संविदा में दिये गए सफलतम बोलीदाता से प्रप्त की जाएगी जोकि डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में 'भारतीय मानक ब्यूरो' में पक्ष में 'बड़ी ब्राहमण' मे देय हो या अनुसूची-7 के अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फामेंट के अनुसार बैक गारंटी दी जाएगी।
- 3.2 निष्पादन प्रतिभूति ठेकेदार द्वारा अनुबंध संबंधी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तिथि के बाद 60 दिनों की अविध के लिए वैदय रहेगी।
- 3.3 इस संविदा या किसी प्रकार का अन्य लेखा की शर्तों के तहत संविदाकार के पास कोई राशि देय हैं/ वसूलनीय है तो उसे कार्य निष्पादन सिक्योरिटी जमा राशि को में से काट लिया जाएगा। यदि ऐसे किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरो से 'मांग सूचना' की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा। यदि सिक्योरिटी को संविदाकार द्वारा बैक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है, तो निर्धारित या अनिर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरो को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त गारंटी की शर्तों के तहत ब्यूरो को उक्त बैंकरों द्वारा मांग पर तुरंत भुगतान किया जाएगा।
- 3.4 यदि किसी संविदा की अविध के दौरान, संविदाकार इस संविदा के तहत, देय एवं इसकी देयताओं के तहत सही कार्य निष्पादन सें चूकता है या जुर्माना के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चुकता है तो ब्यूरो इसके तहत उसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर प्रभाव डाले बिना या लागू कानून पर, कार्य निष्पादन से उसे रोकने का हकदार रहेगा।

- 3.5 ब्यूरो को संविदाकार से यदि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी की राशि से अधिक उक्त जैसे नुक़सानों, हानियों, लागत, प्रभार एवं खर्च की राशि होगी, तो उसे मुक़दमें या इसी प्रकार के अन्य तरीके से वसूलने से रोका नहीं जाएगा।
- 3.6 जब तक दोनों पार्टियों के मध्य सभी विवादों, यदि कोई हो का निपटान ब्यूरो की सम्पूर्ण संतुष्टि तक नहीं होता तो कार्यकारिता प्रतिभूति को ब्यूरो द्वारा रोक लिया जाएगा | इस अनुबंध की समाप्ति तिथि के 60 दिनों के भीतर ब्यूरो द्वारा संविदाकार को कार्यकारिता प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी, बशर्ते की संविदाकार की तरफ ब्यूरो की कोई राशि बकाया न हो |

4. संविदा दस्तावेज

- 4.1 संविदा बनाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में उसे ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्णित किया जाएगा एवं सुलझाया जाएगा । इस पर यह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेज़ की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी:
 - अनुबंध
 - बोली पूर्व बैठकों के कार्यवृत्त , स्पष्टीकरण
 - संविदा की शर्ते
 - निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज़
 - स्वीकार्यता पत्र
 - संविदा के संबंध में पक्षों के बीच किया गया पत्र पत्राचार
 - संविदाकार का प्रस्ताव

5. संविदा की वैधता

5.1 इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्षों की अविध के लिए संविदा होगी। तथापि, संविदा की वार्षिक समीक्षा की जाएगी तथा संविदा अविध के दौरान संतुष्टिपरक निष्पादन एवं दोनो पक्षों की आपसी सहमित की शर्त पर वार्षिक आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा।

6. श्रमशक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र

6.1 श्रमशक्ति संविदा के अंतगर्त श्रमशक्ति की आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं

क्रम सं	श्रेणी	श्रमशक्ति की संभावित अपेक्षाए	न्यूनतम शैक्षिक योगयता एवं अनुभव
1	आशुलिपिक (कुशल)	1	स्नातक होना और अंग्रेजी में कम से कम आशुलिपि गति प्रति मिनट 80 शब्दों की प्रति मिनट कम से कम 40 शब्दों के टाइपिग की गति होनी चाहिए
2	बहुकार्य निष्पादन स्टॉफ (अकुशल)	1	• 8 वीं परीक्षा पास की हो

- 6.2 ऊपर बताई गई श्रमशक्ति की अपेक्षाओं में अनुबंध की अविध के दौरान वृद्धि या कमी हो सकती है।
- 6.3 ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कार्मिकों की कार्य करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए ब्यूरो द्वारा उनके चुनाव के लिए उपयुक्त माध्यम को अपनाया जाएगा। इसलिए ठेकेदार को कम से कम दुगुने कार्मिकों को प्रदान किया जाए ताकि ब्यूरो द्वारा उनका चुनाव किया जा सके। कुशल कार्मिकों को ब्यूरो की आवश्यकतानुसार कुशल श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए काम

पर लगाया जाएगा , यदि उसके पास आवश्यक योग्यता व कुशलता हो।

6.4 ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करे कि विभिन्न सेवाओं के लिए केवल ऐसे होशियार, अनुभवी और विशिष्ट योग्यताओं वाले कार्मिकों को ही ब्यूरों के परिसर में काम पर लगाया जाए जो ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हों अन्यथा ठेकेदार को तुरन्त उनके स्थान पर किसी दूसरे कार्मिकों को काम पर लगाना होगा।

7. संविदाकार की देयताएँ :

- 7.1 संविदाकार ब्यूरो के परिसर में श्रमशक्ति सेवाएं खंड 6 के अनुसार उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें अनुबंध की अविध के दौरान ब्यूरो द्वरा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और यह अनुबंध का एक भाग होगा | संविदाकार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर करवाए गए कार्य के लिए बाध्य होगा |
- 7.2 अवांछनीय कार्मिक को सकारण हटाने का अधिकार ब्यूरो का होगा जबिक आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर किसी भी क्रमिक को ब्यूरो के अनुमित के बिना हटाने का अधिकार संविदाकार को नहीं होगा |
- 7.3 बीआईएस में श्रमशक्ति सेवाओं के प्रदर्शन को जाँचने हेतु संविदाकार द्वारा पर्याप्त निरीक्षण किया जाएगा |
- 7.4 बीआईएस में दोनों पक्षों के बीच अपेक्षाओं संबंधी हुए समझौते के अनुसार श्रमशक्ति सेवाओं के प्रदर्शन को जाँचने हेतु संविदाकार द्वारा पर्याप्त निरीक्षण किया जाएगा |
- 7.5 सभी अपेक्षित रिपोर्टें तथा अन्य सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध कराई जाएं तथा ब्यूरो के साथ नियमित बैठकें की जाएं |
- 7.6 यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाओं (ई एस आई सी/ ई पी एफ) को पूरा नहीं कर पाता और संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो इसे संविदा भंग समझा जाएगा और निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि को ज़ब्त करने के साथ साथ ठेकेदार को ग्राहक द्वारा काली सूची में डाला जा सकता है।

- 7.7 संविदा की किसी भी शर्त को तोड़ने और सभी प्रकार की हानियों के लिए , जिसमें संविदाकार द्वारा आवश्यकतानुरूप श्रमशक्ति उपलब्ध न करवाए जाने के कारण श्रमशक्ति किराए पर लेने के कारण अतिरिक्त लागत भी शामिल है, ब्यूरो बिलों में से अथवा निष्पादन प्रतिभूति में से किराए की दर से दुगुनी कटौती करेगा अथवा ब्यूरो उसे 7 दिनों के भीतर ब्यूरो के खाते में जमा करवाने के लिए कहेगा।
- 7.8 यदि ब्यूरो आवश्यक समझेगा तो ब्यूरो को यह अधिकार होगा कि वह संविदाकार के कर्मचारियों के आने और जाने के समय का निरीक्षण करेगा साथ ही साथ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कार्य से संबंधी निर्देश भी देगा |
- 7.9 निरीक्षक, जिसे श्रमशक्ति सेवाओं का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव होगा , वही श्रमशक्ति सेवाएं के प्रतिदिन के प्रचालन के लिए जिम्मेदार होगा। ये कार्मिक निरीक्षक तथा संप्रेषण कौशल उत्साही तथा विश्वसनीय होंगे | यह निरीक्षक काम करने के सामान्य घंटो के बाद संविदाकार की लागत पर ही अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा।
- 7.10 ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सारी श्रमशक्ति अत्याधिक चौकस, सतर्क, कुशल, तत्पर तथा प्रिय होनी चाहिए | उच्च स्तरीय कार्य की गारंटी प्रदान करने हेतु निरीक्षकों द्वारा कर्मचारियों को प्रभावी कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए |
- 7.11 जब तक ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में मंजूरी न मिले, तब तक संविदाकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध अथवा किसी अंश भाग को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा या नहीं सौपेगा |
- 7.12 संविदाकार के कर्मचारियों को ब्यूरो के समुचित निर्देशों का पालन करना पड़ेगा |
- 7.13 निर्देशों तथा सेवा अनुसूची में दर्शाए गए समुचित कार्यों को परिवर्तित करने का अधिकार ब्यूरो को रहेगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करार को रद्द नहीं कर सकता।
- 7.14 इस अनुबंध के तहत सभी सेवाओं का प्रदर्शन ही मुख्य विषय होगा, ब्यूरो द्वारा निरीक्षण करने पर करार के आवश्यकता के अनुसार सेवाओं के संतोष जनक स्थिति न

होने पर ब्यूरो को भुगतान रोकने का अधिकार होगा | सेवाओं के संतोषजनक लगने के स्थिति पर ही ब्यूरो द्वारा बकाया राशि का मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा |

7.15 कार्य निष्पादन के दौरान या कार्य करने के दौरान व्यक्तिगत चोट या व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किसी भी विधान या सामान्य कानून के कारण होने वाले हानि, दायित्व, दावे या कार्यवाही के लिए संविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा और ब्यूरो को क्षितिपूर्ति करेगा भले ही इसमें उसकी लापरवाही हो या न हो | ऐसे जोखिम के लिए वह उपर्युक्त बीमा कवर करेगा और बीमा पॉलिसी की एक प्रति ब्यूरो को देगा |

7.16 ब्यूरो को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रदान करवाई गई श्रमशक्ति की आवश्यक शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं, आयु संबंधी प्रमाण और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करे एवं ब्यूरो द्वारा अपेक्षाओं के अनुरूप न पाए जाने पर उपयुक्त प्रतिस्थापन के लिए उन्हें हटा दे।

काम पर लगाए गए स्टाफ संबंधी ठेकेदार के दायित्व

7.17 यहाँ बताई गई सेवाओं के लिए संविदाकार श्रमशक्ति की सेवाएँ एक समान वर्दी वाले अनुभवी कार्मिक द्वारा प्रदान करेगा और संविदाकार के ये सभी कार्मिक संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए सभी सर्वाधिक दायित्वों (जैसे ईएसआई और ईपीएफ) के भागी होंगे, इस संबंध में ब्यूरो का कोई दायित्व नहीं होगा |

7.18 संविदाकार द्वारा काम पर लगाए कार्मिकों के लिए ईपीएफ और ईएसआई के रूप में जमा करवाई गई राशि का पूरा विवरण समय-समय पर ब्यूरो को देना पड़ेगा |

7.19 संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए कार्मिकों की मजदूरी/वेतन सीधे उस व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कारवाई जाएगी | संविदाकार ब्यूरो को इस संबंध में सबूत भी देगा

7.20 संविदाकार अपने कार्मिकों को समय-समय पर दिए गए सांविधिक लाभों जैसे बोनस, छुट्टी, छूट आदि का विवरण ब्यूरो को देगा | 7.21 संविदाकार अपने कार्मिकों को इयूटी निभाने के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु के लिए कवर करेगा और इस संबंध में ब्यूरो का कोई दायित्व या बंधन नहीं होगा |

7.22 संविदाकार अपने कार्मिकों को पुलिस प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए पूर्ववृत सही करके अपने सभी कार्मिकों को पहचान पत्र / पहचान संबंधी दस्तावेज़ जारी करेगा जिन्हें संविदाकार द्वारा उसे दिखाने के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे | ब्यूरो को संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए कार्मिकों के कार्यकारिता का निरीक्षण करने और इसकी कार्यकारिता असंतोषजनक होने पर उन्हें बदलने से संबंधित आदेश देने का अधिकार है |

7.23 संविदाकार के कार्मिक ब्यूरो के कार्मिक नहीं बनेंगे और इस अनुबंध के अधीन की गई तैनाती/ ड्यूटी के लिए कोई वेतन या भत्ते, मुवावजा और नुकसान आदि के लिए मांग नहीं करेंगे|ठेकेदार इस अनुबंध के अधीन उनकी तैनाती से पूर्व उन्हें इस संबंध में लिखकर बताएगा |

7.24 संविदाकार अपने कार्मिको को सभी सांविधिक अथवा अन्य लाभ भी प्रदान करेगा एवं ब्यूरो की इस संबंध में कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी | संविदाकार श्रम क़ानूनों, श्रमशिक्त मुआवजा अधिनियम, ईपीएफ कानून, ईएसआई सी कानून, आयकर एवं न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेकेदार श्रम (विनियम उन्मूलन अधिनियम) एवं अन्य लागू क़ानूनों का पालन करेगा |

7.25 संविदाकार अपने कार्मिकों को अपने खर्च पर गर्मियों एवं सर्दियों के दो जोड़े वर्दी प्रदान करेगा |

7.26 संविदाकार ब्यूरो को मजदूरी शीट की एक प्रति जमा करवाएगा, जिसमें कार्मिकों को प्रदान की गई मासिक मजदूरी प्रदर्शित हो |

7.27 संविदाकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को काम पर तैनात नहीं करेगा जिसकी आयु 18 से कम हो और 45 वर्ष से अधिक हो | इस कार्य के लिए लगाई गई श्रम शक्ति को अपेक्षित क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं अनुभव प्रदान किया गया हो |

8. भ्गतान शर्ते

- 8.1 ब्यूरो द्वारा सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भुगतान महीने की समाप्ति पर प्राप्त बिलों के आधार पर संविदाकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा | उद्दरण की गई दरों में सरकार द्वारा समय -समय पर लगाए गए किसी प्रकार का सेवा कर, या कोई अन्य लागू कर शामिल नहीं होंगे और ये लागू दरों/ न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त वसूल किए जाएंगे। ब्यूरो ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए किसी व्यक्ति/कार्मिकों को अनुपस्थिम की अविध , यदि कोई हो, के लिए ठेकेदार को मजदूरी नहीं देगा।
- 8.2 ठेकेदार द्वारा एक माह की समाप्ति के तुरंत बाद इस अनुबंध के अधीन प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल डुप्लीकेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बिलों का भुगतान तथा संविदा से उत्पन्न अन्य दावों के भुगतान प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार के बैक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् प्रस्तुत प्रत्येक बिल में कुल राशि से लागू दरों पर उपकर/प्रभार सहित कर की कटौती की जाएगी।
- 8.3 किसी भी राशि को रखने या छोड़ने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरक्षित है, जो किसी दावे के तहत संविदाकार के कारण समय-समय पर हो सकता है, जो ब्यूरो के पास इसके तहत या अन्य किसी संविदा/करार के तहत हो सकता है।
- 8.4 भुगतान निम्नित्खित सूत्र द्वारा उपरोक्तानुसारसम्बद्ध परिवर्तनों सिहत किया जाएगा । ठेकेदार भी अपने कार्मिकों को इस सूत्र द्वारा भुगतान करेगा। यह सूत्र सभी सवेतन साप्ताहिक अवकाशों, राष्ट्रीय अवकाशों एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों को ध्यान में रखता है।

सूत्र : व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली मजदूरी = [उपरोक्तानुसार कुल मासिक मजदूरी/ एक महीने में कुल दिन] x एक व्यकित द्वारा किसी निश्चित माह में काम करने के दिन

9. जुर्माना/दंड लगाना

- 9.1 संविदाकार अपने द्वारा काम पर लगाई गई श्रमशक्ति को डी ए सिहत, यिद कोई हो, मज़दूरी पत्येक महीने की 10 तारीख तक बॉट देगा। ऐसा न होने पर प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद संविदा को रद्द कर दिया जाएगा। ग्राहक को यह अधिकार रहेगा कि वे ठेकेदार के जोखिम और लागत पर श्रम शक्ति सेवाओं के लिए किसी और ठेकेदार को नियुक्त कर लें।
- 9.2 जब कभी भी यह पाया जाता है कि दिए गए कार्य को, विशेषतया जो कार्य ठेकेदार के प्रमुख निरीक्षक के अधीन है, ब्यूरो द्वारा असंतोषजनक पाया जाता है, तो ब्यूरो द्वारा ठेकेदार को इस संबंध में बताया जाएगा और यदि इस संबंध में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा और उसी महीने ठेकेदार के बिल में से दंड की राशि की कटौती की जाएगी।

10. क्षतिपूर्ति

10.1 संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रापर्टी, जो भी हो के चोटिल होने या नुकसान होने पर ब्यूरो के सभी नुकसानों एवं दावों, जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरुप हो तथा सभी दावों, मांगों, प्रक्रियागत, नुकसान, लागत, प्रभार एवं खर्च, इस संबंध में जो भी हो या समय-समय पर यथा संशोधित विभिन्न श्रमिक कानूनों के उपबंधों के तहत इससे संबद्ध की क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूर्ति करायेगा।

10.2 संविदाकार ब्यूरो के विरुद्ध सभी दावों, नुक़सानों, लागत नुकसानों, खर्चों, वाद कार्रवाई एवं अन्य प्रक्रिया, किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामत: ट्रेडमार्क, कापीराईट इत्यादि ऐसे ही अन्य वैधानिक उल्लंघनों के क्षतिपूर्ति, स्रक्षा एवं बचाव करेगा।

11. संविदा का समापन

- 11.1 ब्यूरो को बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर इस संविदा को अस्थायी तौर पर किसी भी समय आस्थगित करने की स्वतंत्रता होगी। संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या दुर्व्यवहार हेतु इस संविदा की किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों को भंग करने के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देते हुए जो भी ब्यूरो का निर्णय हो, संविदाकार के लिए अन्तिम होगा तथा संविदाकार को कोई भी हकदार नहीं होगा।
- 11.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में, जिसे परिणामतः संविदा के तहत वह अपनी सेवाओं देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो तो, इसे एवं गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के होने पर माना जाएगा:
 - क) ब्यूरो की राय में संविदाकार संविदा के विरूद्ध हो गया हो,
 - ख) इस संविदा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति शुरू करने में बिना किसी समुचित कारण के चूकने पर या पूर्णता हेतु तथा समय के भीतर सेवाएँ उपलब्ध कराने में असफल रहने पर।
 - ग) लिखित में ब्यूरो की ओर से पिछली चेताविनयों के बावजूद, संविदा के तहत इसकी जिम्मेवारियों के अनुपालन में अन्यथा घोर लापरवाही रहने पर।
 - घ) निर्धारित तिथि के 30 दिन की अविध के बाद भी श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने में देरी।
 - ङ) यदि संविदाकार सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनाये गये किसी कानून को भंग करता हो।
 - च) ब्यूरो के न्याय में संविदाकार संविदा के तहत सेवाओं को पूर्ण करने या निपटाने में भ्रष्ट या गलत रीतियों में लिप्त हो।
 - छ) संविदाकार स्वेच्छा या अनिच्छा से दिवालिया या परिसमापित हो जाता है।
 - ज) संविदाकार दिवालिया हो जाता है।

- झ) इसकी परिसम्पतियों के किसी बड़े भूभाग पर कोई रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या परिसामापक निय्क्त कर दिया जाता है।
- ज) संविदाकार या इसकी सम्पित्तियों के संबंध में कोई कार्यवाही या घटना होती है, जिससे किसी लागू कानून के तहत/चालू क्रिया या घटनाओं पर किसी प्रकार का बड़ा प्रभाव पड़ता है।
- ट) ब्यूरो की पूर्व अनुमित के बिना संविदाकार (संघ के मामले में) संघ के गठन तथा या संघ के किसी सदस्य की जिम्मेवारी में संशोधन करता है।

132 ब्यूरो द्वारा समापन

13.1 बिना कारण बताये तथा हानि या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरो के लिए भी वैधानिक होगा, जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे समापन के लिए ब्यूरो द्वारा लिखित में संविदाकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा।

13. समापन हेतु संविदाकार का अधिकार

14.1 यदि संविदाकार संविदा अविध की समाप्ति से पूर्व संविदा समाप्त करने का निर्णय लेता है तो संविदाकार को न्यूनतम 60 दिनों की अग्रिम रूप में सूचना देनी पड़ेगी । यदि संविदाकार 60 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जायेगी ।

14. अप्रत्याशित घटना के लिए खंड

14.1 इस संविदा की बारंबारता के दौरान किसी भी समय पर यदि इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्णरूपेण या अंशत निष्पादन को किसी लड़ाई, युद्धस्थिति, सार्वजनिक शत्रुता संबधी कार्यां, महामारियों, सार्वजनिक हुल्लडबाजी, तोड-फोड, आगजनी, बाढ, विस्फोट, संगरोधन, प्रतिबंधन, हड़ताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा (इसमें आगे ऐसे कार्य कहा गया है) के कारणों से रोका जाएगा या देरी की जाएगी बशर्त ऐसी घटनाओं के नोटिस घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक पक्ष से दूसरे पक्ष

को देता है। कोई भी पक्ष ऐसी स्थित में न तो इस संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य नुकसानों की भरपाई का दावा करेगा और जब तक ऐसी घटनाएँ समाप्त न हो जाए या बंद न हो, इसके बाद व्यावहारिक से संविदा शुरू नहीं की जाएगी तथा जब ब्यूरो के उप महानिदेशक पुन: संविदा को शुरू करने या न करने का निर्णय नहीं करते, इस मामले में उप महानिदेशक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा । इसके अतिरिक्त ठेके के अन्तर्गत पूर्ण या आंशिक रूप से काम 60 दिनों के लिए रोक दिया जाता है या काम में देरी की जाती है तो पार्टी को अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा। ऐसी समाप्ति के अवसर पर ठेकेदार के पास जो भी अप्रयुक्त , बिना खराब हुआ या स्टोर किए गए अथवा ऐसे अंश को जिन्हें ब्यूरो ठीक समझे, ब्यूरो को उपमहानिदेशक द्वारा तय की गई कीमत पर ठेकेदार से ले लेने की छूट होगी। ऐसी सामग्री इसमें शामिल नहीं होगी जिन्हें ठेकेदार ब्यूरो की सहमित से अपने पास रखना चाहे।

15. भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

- 15.1 ब्यूरो को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसे संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरान्त, ब्यूरो निम्नानुसार शर्तें सेट करना परिभाषित करता है:
- क) भ्रष्ट रीति से अभिप्राय है भाड़े की प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना, एवं
- ख) कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय है कि ब्यूरो को हानि पहुँचाने के लिए भाडे की प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृत्रिम तौर पर अप्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुतकरण से पूर्ण या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल हैं तथा ब्यूरों को मुफ्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना शामिल हैं।

15.2 यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि संविदा हेतु जिस बोलीदाता के नाम की सिफारिश की गई, वह संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ऐसे संविदा के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा । यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि फर्म संविदा की प्रतिस्पर्धा के भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो उस फर्म को अनिश्चितकाल या एक तय समय सीमा हेत् अयोग्य समझा जाएगा ।

16. गोपनीयता

16.1 संविदाकार संविदा के तहत सेवाएँ देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यूरो से लिखित में सहमति न ली जाये।

17. प्रचार-प्रसार

जिस किसी भी प्रचार सामग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को ऐसा केवल ब्यूरो से लिखित अनुमति लेने पर ही करना चाहिए ।

18. विवाद और विवाचक

18.1 ब्यूरो और संविदाकार से जुड़े किसी असहमित या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे । यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल नहीं किया जा सके तो उस मामले को अनुसूची 4 के तहत प्राधिकृत अधिकारी, भा मा ब्यूरो द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जायेगा । भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

19. नोटिस भेजने का तरीका

- 19.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा । नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) के केवल डिलवरी होने पर ही प्रभावी होगा ।
- 19.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएँगे। यदि संविदाकार के अंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि

नोटिस सामान्य डाक से भेजा जाने पर इसे समय पर या डिलवरी हुए के समान माना जाएगा ।

20. शासन की भाषा

20.1 सम्पूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार हेत् शासित भाषा अंग्रेजी या हिन्दी होगी ।

21. कानून

22.1 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी ।

22. कानूनी क्षेत्र

22.1 संविदाकार द्वारा केवल बड़ी ब्राह्मण, की स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

23. स्टाम्प इ्यूटी

23.1 संविदा से संबद्ध किसी भी प्रकार की स्टाम्प इयूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

अनुसूची - 3

blank page

अनुसूची -4 विशिष्टि एवं संबद्ध तकनीकी विवरण

1. संविदा की प्रस्तावित वैधता : तीन वर्ष, जिसे फर्म के सेवा-संतुष्टि एवं दोनों पक्षों के आपसी सहमति के शर्ताधीन, एक समय पर एक वर्ष के आधार पर दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

2. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता

क) स्थान : भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4, SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू - 181133 भारतीय मानक ब्यूरो वेबसाईट : wwwww.bis.org.in ov

अवधि : 25 अक्टूबर 2016 से 16 नवम्बर 2016 तक

- 3. प्री बिड कॉन्फ्रेस भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू 181133 पर 9 नवम्बर 2016 को 1500 बजे
- 4. बोलियाँ खोलना अनुभाग अधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो, बड़ी ब्राहमण, जम्मू के कार्यालय मे दिनांक 16 नवम्बर 2016 को 1500 बजे तकनीकी बोली खोली जाएगी |
- 5. बोलियों के जमा करवाने की पद्धति/ तरीका 'तकनीकी बोली' एवं 'वित्तीय बोली' लिखे दो लिफाफों वाले "भा मा ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू में किराए पर "श्रमशक्ति सेवा के लिए निविदा" लिखकर लिफाफा जिस पर पक्ष का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा अनुभाग अधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू 181133 के कार्यालय में दिनांक 16 नवम्बर 2016. (बुधवार) 1400 बजे तक भिजवाएँ |

6. धरोहर राशि : रु० दस हजार (रु० 10,000/-)

7. निष्पादन प्रतिभूति जमा : रु॰ बाईस हजार (रु॰ 22,000/-)

8. बोलियों की वैधता : तकनीकी बोली खोलने से 90 दिनों तक

9. इस निविदा/संविदा हेतु ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी : अनुभाग अधिकारी / अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी

अनुसूची -5 वित्तीय बोली

(वित्तीय बोली लिफाफा में प्रस्तुत की जाए)

अनुभाग अधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 4,SIDCO औद्योगिक परिसर, बड़ी ब्राहमण, जम्मू – 181133

H	ह	ς	य	,

	"भारतीय	मानक	ब्यूरो, उ	नम्मू-व	कश्मीर	शाखा	कार्यालय,	बड़ी	ब्राहमण,	जम्मू
में श्रमशक्ति	सेवाएं	उपलब्ध	करवान	ने के	लिए"	दिनांव	क		;	आपकी
निविदा पूछता	छ के संद	र्भ में, मैं/	हम निम	-नानुर	गर दरों	ां को उ	द्धृत करते	हैं :		

क्रमांक	श्रेणी	संभावित	प्रति माह प्रति व्यक्ति	प्रति माह कुल राशि
		अपेक्षाएं	के लिए उद्धत राशि	(अंकों में)
			(अंकों में)	
1	कुशल			रुपया
	आशुलिपिक	01		
				केवल
2	अकुशल श्रेणी	01		रुपया
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ			
				केवल

मैंने/हमने दस्तावेज़ पढ़ लिया है तथा अनुसूची-2 में दर्शाए अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो को हाउसकिपिंग सेवा उपलब्ध करवाने की सेवाओं हेतु सभी शर्तों एवं निबंधनों को समझ लिया हैं |

हस्ताक्षर	
तिथि	
नाम	
ਧੁਤਾ	

अनुसूची -5(जारी)

क्रम	विवरण	कुशल	अर्ध-कुशल	अकुशल
सं		J	, 3	3
1	आधारभूत न्यूनतम			
	मजदूरी प्रति व्यक्ति वी			
	डी ए सहित			
2	ई एस आई			
3	ई पी एफ			
4	ई डी एल आई			
5	उपदान/सेवांत हितलाभ			
6	बोनस			
7	वर्दी और धुलाई भतता			
8	प्रति व्यक्ति लागत (क)			
9	प्रति व्यक्ति प्रति माह			
	लाभ/ सेवा प्रभार (ख)			
	(बंधी राशि के रूप में,			
	प्रतिशत रूप में नहीं)			
10	प्रति व्यक्ति कुल लागत			
	माह (क) + (ख)			

हस्ताक्षर

নিখি
नाम
अनुसूची - 6 संविदा प्रपत्र
करार
यह करार के दिन (माह) 2016 को किया गया है,
यह मैसर्स
(संविदाकार का नाम एवं पता) (जिसे आगे आगे इसमें संविदाकार कहा गया है) जब तक
प्रसंगतगत या इसके अर्थ विरुद्ध न हो, इसमें जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जाएगा
तथा उसके उतराधिकारी एवं सुपुर्दकार शामिल होंगे, एक पक्ष तथा भारतीय मानक ब्यूरो,
जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय, बड़ी ब्राहमण, जम्मू - 181133 (जिसे आगे इसमें ब्यूरो
कहा गया है,जिसकी अभिव्यक्ति का अभिप्राय समझा जाएगा, जब तक प्रसंगगत या
उसके अभिप्राय विरुद्ध न हों, इसमें उताराधिकारी एवं सुदूर्पकार शामिल होंगे), दूसरे पक्ष
के बीच करार हुआ
जबिक सेवा प्रदाता प्राधिकृत संविदाकार है एवं ब्यूरो निगमित निकाय है, जो सांसद
द्वारा अधिनिगमित है ब्यूरो दर संविदा आधार पर श्रमशक्ति सेवाएं लेने
का इच्छुक है अतः खुले या विज्ञाप्ति/लिमिटेड/एक निविदा पृष्ठ
दिनांकित के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित की गई है
जबिक संविदाकार (सफल बोलीदाता) ने अपनी बोली प्रस्तुति की, बोली दस्तावेज़ के
अनुसार देखें तथा बोली की प्रक्रिया के अनुपालन से 'यथा सफलतम
बोलीदाता' चुना गया तथा संविदा मूल्यों पर बातचीत कर, दिनांक को
संविदाकार को स्वीकार्यता पत्र (LOA) संख्या दिया गया

निविदा दस्तावेज़ की अनुसूची -2 (शर्त एवं निबंधन) में दर्शाएँ गए शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए |

(संविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि	(ब्यूरो के प्राधिकृत के
के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर अधिकारी
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
पता	पता
फ़र्म/कंपनी की मुहर	ब्यूरो की मुहर
साक्षी:	साक्षी:
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षी का नाम	साक्षी का नाम
पता	पता

अनुसूची 7 -बोलीदाताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य मानक प्रपत्र] यदि कोई है तो

1.	अनुलग्नक -1	बैंक प्रतिभूति ब्रांड के प्रपत्र (यथा लागू कार्य निष्पादन सिक्योरिटी के
		रूप में सफलतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
2.	अनुलग्नक -2	बोलीदाताओं द्वारा भेजे जाने वाले विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों
		में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
3.	अनुलग्नक -3	पिछले 3 वर्षों में बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सदृश सेवाओं के
		प्रकारों के विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा
		प्रस्तुत किए जाएँ)
4.	अनुलग्नक -4	काली सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणाएँ (तकनीकी बोली वाले
		लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)

अनसूची 7 का अनुलग्नक - 1

बैंक गारन्टी का प्रपत्र

कृपया पृष्ठ संख्या 33 एवं 34 अंब्रेजी रूपांतर का अवलोकन करें |

अनुसूची 7 का अनुलग्नक - 2

बोलीदाताओं द्वारा भेजे गए विवरण

- 1. फर्म / कम्पनी का नाम -
- 2. वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी-
- 3. पंजीकरण की वैधता -
- 4. पंजीकरण नं. एवं श्रम लाइसेंस
- 5. पत्राचार का पता:
- 6. दूरभाष संख्या :
- 7. ईमेल:
- 8. स्वामी/भागीदार/निदेशक के विवरण:

नाम	पता	अर्हता एवं अनुभव

9. सदृश प्रकृति के कार्य/जॉब हेतु पिछले तीन वर्षों के वित्तीय वर्षों में फर्म/कम्पनी का वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की जाये)

	T -	
वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रू०)	सालाना लेखा परीक्षित

	तुलनपत्र की प्रतियाँ (हॉ/नहीं)
पिछला वित्तीय वर्ष (Y-1)	
2015-16	
दूसरा वित्तीय वर्ष (Y-2)	
2014-15	
तीसरा वित्तीय वर्ष (Y-2)	
2013-14	

- 10. फर्म/कम्पनी का पैन, टिन नम्बर :
- 11. सेवाकर पंजीकरण सं0:
- 12. धरोहर राशि जमा ड्राफ़ट की संख्या / बैंक का नाम/तिथि :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैने/हमने निवविदा सूचना की शर्तो एवं निबंधनों को पढ़ एवं समझ लिया है।

मै/हम वचनद्ध है कि मैं/हम निविदा की सभी शर्तों एवं निबंधनों के लिए मेरी / हमारी बिना शर्त एवं स्वीकार्यता देता हूँ/ देते हैं। तथा इन शर्तों एवं निबंधनों के पालन के लिए सहमत हॅ/हैं।

फर्म/कम्पनी का नाम एव हस्ताक्षर फर्म /कम्पनी की मुहर

\sim	
1 1 1 9 1	
าตาฯ	
•	

स्थान :

अनुलग्नक - 3

पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों में सदृश प्रकृति के किए गए कार्यो/सेवाओं के विवरण

बोलीदाता का नाम:

वर्ष	ग्राहक का नाम एवं	सेवा प्रदान करने	संविदा का मूल्य	टिप्पणियाँ
	पता	का प्रकार एवं		
		नाम		
2015-2016				
2014-2015				
2013-2014				

टिप्पणी : फर्म के सीए द्वारा कारोबार की रकम को प्रमाणित एवं लेखा परीक्षित किया जाना चाहिए तथा पृथक शीट संलग्न की जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
बोलादाता का नाम एवं पता
फर्म/कम्पनी की मुहर

अनुलग्नक-4

काली-सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणा

मै/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/एजेंसी को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के तहत किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग/राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। मै/हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फर्म/कम्पनी या इसके स्वामी/भागीदारों /निदेशकों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है।

दिनांक	 माह		2016	
		बोलीदाता के ह	हस्ताक्षर	
		बोलादाता का	नाम एवं पता	
		फर्म/कम्पनी व	नि महर	

BUREAU OF INDIAN STANDARDS Jammu & Kashmir Branch Office (JKBO) Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133

TENDER NOTICE

Our Ref: JKBO/ADMN/3/2016 25 October 2016

Sealed tenders are invited under two-bid system from eligible firms/companies for hiring of manpower services for its office located at Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133. The tender document can be downloaded from www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in.The closing date and time of receipt of bids is 16 Nov 2016 upto 1400 h and the technical bids shall be opened on the same day at 1500 h.

The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason.

Section Officer

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Jammu & Kashmir Branch Office (JKBO) Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133

TENDER NOTICE

Bureau of Indian Standards invites sealed bids, *under two bid system (Technical bid and Financial bid)* for Hiring of Manpower Services for its office located at Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133 from eligible bidders as per the details given below:

Sl. No.	Category	Tentative Requirement
1.	Stenographer	01
2.	Multi-Tasking Staff (Unskilled)	01

1. Eligibility –

- Should have a valid licence holding Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 for deploying the personnel to provide the Manpower Services at Bari Brahmana, Jammu
- Should have minimum three years of experience of providing manpower services to large private firms and/or Departments/Ministries of the Government of India/PSUs (copies of two work orders received from large private firms and/or Govt. deptts./PSUs during each of three years, including current financial year, should be enclosed).
- Should have a valid PAN issued by the Income tax Department, also registered with Employees Provident fund Organization, and Employees State Insurance Corporation, Service Tax Department (attested copies has to be attached).
- Should have minimum turnover of Rs. Five Lakhs per year during each of the last three years from providing manpower services (copies of annual accounts of the last three years should be enclosed).

- Should not have been blacklisted by the Deptts/Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).
- Proposed validity of the contract: Three Years.
- 3. Availability of Tender Documents:

Place: Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu during office hours and BIS website www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in

Period: 25 October 2016 to 16 November 2016

- 4. Pre-bid Conference: 1500 h on 9 November 2016 (Wednesday)
- 5. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at 1500 h on 16 November 2016.
- 6. Method/manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing Tender for Manpower Services at Bureau of Indian Standards, JKBO, Bari Brahmana, Jammu having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Section Officer, Bureau of Indian Standards, Jammu & Kashmir Branch Office, Jammu.
- 7. Earnest Money Deposit: Rs. 10,000/-
- 8. Performance Security Deposit: Rs.22,000/- (Rs Twenty Two Thousand only)
- 9. Validity of Bids: 90 days from opening of technical bid.
- 10. The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason.

Section Officer

TENDER DOCUMENT

SCHEDULE - 1: INSTRUCTIONS TO BIDDERS

- 1. Notice inviting Bids:
- 1.1 Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by Bureau of Indian Standards (JKBO), Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu from eligible Bidders for Hiring of **Manpower Services** as specified in the **Schedule-2 of tender document**.
- Issue of Tender Document:
- 2.1 The Tender document will be available during the period indicated in the Schedule-4, during the office hours.
- 2.2 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in.
- 2.3 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.
- 2.4 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.
- 2.5 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.
- 3. Language of Bid/Contract: The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.
- Pre-bid Conference:
- 4.1 A Pre-bid conference of all intending Bidders will be held at the scheduled date and time indicated in the Schedule-4. Intended Bidders will be allowed to seek clarification, if any.
- 5. Validity of Bids:
- 5.1 The Bids will be valid for a period of 90 days from the date of opening of financial bid.

- 6. Earnest Money/ Bid Security:
- 6.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the Schedule-4 as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards, or a Bank Guarantee as per format indicated in Annexure-1 of **Schedule 7**.
- 6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).
- 6.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies (and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the Bureau for Hiring of Manpower Services for the period as decided by the Competent Authority of the Bureau).
- 6.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, Earnest Money Deposit of the successful bidder will be forfeited by the Bureau.
- 6.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the agreement or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.
- 7. Eligible Bidders
- (i) Should have a valid licence holding Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 for deploying the personnel to provide the **Manpower Services** at Bari Brahman, Jammu.
- (ii) Should have minimum three years of experience of providing manpower services to large private firms and/or Departments/Ministries of the Government of India/PSUs (copies of two work orders received from large private firms and/or Govt. deptts./PSUs during each of the last three years should be enclosed).
- (iii) Should have a valid PAN issued by the Income tax Department, also registered with Employees Provident fund Organization, and Employees State Insurance Corporation, Service Tax Department (attested copies has to be attached).
- (iv) Should have minimum turnover of Rs. Five Lakhs per year during each of the last three years from providing manpower services (copies of annual accounts of the last three years should be enclosed).

8. Rates how to be quoted

- 8.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the technical specifications & conditions and arrive at the amount to be quoted. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its Bid and of the rates and prices quoted in the attached schedules, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.
- 8.2 **The Table-A of Schedule-5** containing the financial Bid shall be exclusive of any service tax or any other applicable taxes. The taxes as may be levied by the Government from time to time shall be charged by the contractor in addition to the rates quoted in the bid by the contractor.
- 8.3 The quoted consolidated monthly amount prices shall be inclusive of Bureau's contribution towards ESI, PF and any other, if any. It shall also include all cost of training and uniform, Supervision of company etc. Total Consolidated monthly amount (including Minimum Wages, ESIC, EPF etc.) per person should be quoted by the bidder under each of the category separately.
- 8.4 The bidder should quote the details (price-break up) of the monthly consolidated amount in the Table-B of Schedule-5.
- 8.5 Prices shall be valid for a period of one year. However, on revision of minimum wages by State Govt. (Jammu & Kashmir), the same shall be revised by the Bureau. However, even on revision of minimum wages, the contractor's profit in absolute terms (not in percentage terms) shall remain the same throughout the contract period as was quoted by the contractor in his bid.
- 9. Manner of Submission of Bid
- 9.1 The complete Bid will be received as indicated in the Schedule-4, by depositing the same through the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time.
- 9.2 E-mail or fax offers will be rejected.

10. Last Date for Submission

- 10.1 Sealed Bids shall be received at the address specified above not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time for receipt of bids shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.
- 10.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.
- Modification and Withdrawal of Offer
- 11.1 The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.
- 12. Contents of Bid Document
- 12.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing Tender for Hiring of **Manpower Services** as mentioned in the Schedule-4.
- 12.2 The envelopes shall contain the following:
- a) **Envelope No.1 (Technical Bid**): The sealed envelope should contain all technical details alongwith commercial terms and conditions such as:
- (i) List of all the documents enclosed;
- (ii) The EMD as indicated in clause 6.1 above.
- (iii) Attested copy of the valid licence issued for deploying the personnel to provide the Manpower Services at Bari Brahmana, Jammu from the relevant authorities;
- (iv) Copies of last Income Tax Returns and Service Tax Returns filed with the concerned Authorities:
- (v) Details of the firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc. (Annexure-2 of Schedule 7);
- (vi) In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid.

The power of attorney shall be signed by all partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided;

- (vii) All pages and pasted slips should be signed by the Bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be returned as a token of its acceptance;
- (viii) A statement showing the magnitude of Work/Service done in the last three (3) years (Annexure-3 of Schedule 7);
- (ix) A declaration regarding black-listing and/ or litigations (Annexure-4 of Schedule7)
- b) **Envelope No.2 (Financial Bid)**: The sealed envelope shall only contain category-wise price for the services to be hired at specified places as per Schedule-2, duly filled in and initialed on each page and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid. The instructions contained in clause 8 may please be noted.
- c) Covering Envelope: Both the sealed envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing the "Bid for Hiring of Manpower Services at Bureau of Indian Standards, JKBO, Bari Brahmana, Jammu and addressed to Section Officer, BIS, JKBO as mentioned in Schedule-4 and the name and address of the Bidder at the bottom left.
- 13. Other Important Points to be noted by the Bidder:
- (a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places (**Schedule 5**).
- (b) If a bidder quotes 'Nil' profit or service charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered.
- (c) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in Tender Document, failing which the Bid shall be liable to be rejected. Conditional Bids will be rejected. The financial bid of the bidder with Nil/Zero service charge will not be accepted.

14. Opening of Bid

14.1 The Bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per the specified program in the office as mentioned in the **Schedule-4** (if possible), in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day, at the scheduled time.

Shortlisting of Bidders

15.1 The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Responsive Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened before representatives of bidders, who have chosen to be present during opening of financial

bids, at a date and time to be intimated.

16. Opening of Financial Bids

16.1 The Bureau shall open Envelope No.2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule **(Schedule-5)** shall then be read out (before representatives of bidders, who have chosen to be present during financial bid. The financial bids shall be evaluated, on the basis of the tentative requirement of manpower, under various categories).

17. Acceptance of Bid

17.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

18. Process to be Confidential

18.1 Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

Execution of Contract Document

- 19.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security, is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value of Rs. 100/-. The Agreement should be signed within 15 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.
- 19.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

20. Rights of the Bureau

- 20.1 The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid. The right to split up the hiring of manpower services in two or more parts is reserved by the Bureau and also the right to award contract to more than one agency is reserved.
- 20.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

21. Notice to form Part of Contract

21.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

SCHEDULE - 2

CONDITIONS OF CONTRACT

1 Definitions

- i) 'Annexure' referred to in these conditions shall means the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
- ii) 'Approved' shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and "Approval" shall mean approval in writing including as aforesaid.
- iii) 'Bid' means the Contractor's priced offer to the Bureau for the manpower services at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, the installation and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- iv) 'Bureau' shall mean Bureau of Indian Standards (BIS) established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- v) 'Commencement Date' means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
- vi) 'Competent Authority' shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- vii) 'Contract' shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- viii) 'Contract Amount' shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- ix) 'Contractor' shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- x) 'Director General' shall mean the Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- xi) 'Government' shall mean the Central Government.
- xii) 'Letter of Acceptance' means the formal acceptance by the Bureau. 'Services' shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the

Contract and other services that are prescribed in the Tender document.

- xiii) **'Specification'** means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.
- xiv) 'Tender' means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer

fixed price for Hiring of Manpower Services.

- xv) 'Time for Completion' means the time for completing the supply of manpower services or any part thereof as stated in the Contract calculated from the Commencement Date.
- xvi) BIS shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- 2. Parties to the Contract
- 2.1 The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.
- 2.2 The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance Security

- 3..1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, as defined in Schedule 4 shall be deposited by the contractor in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'Bari Brahmana/ Jammu' or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1 of Schedule-7.**
- 3.2 Performance Security will remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor.
- 3.3 Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the Contractor, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said guarantee.

- 3.4 If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.
- 3.5 Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from the Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.
- 3.6 The Performance Security shall be retained until all disputes, if any, between both the parties have been settled to the entire satisfaction of the Bureau. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau within sixty days following the Completion Date or Termination Date of this Contract provided that there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.

4. Contract Documents

- 4.1 The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
- i) The Agreement
- ii) Minutes of pre-bid meetings, clarifications
- iii) The Conditions of Contract
- iv) Tender Notice and Tender Document
- v) Letter of Acceptance.
- vi) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- vii) The Contractor's Offer

5 Validity of the Contract

- 5.1 The Contract shall be valid for a period of three years from the date of signing this Contract. However, the contract will be reviewed on yearly basis and extended every year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties.
- 6. Scope of Work for Providing Manpower Services
- 6. 1 Services to be hired under this Contract: The requirement of manpower

is as under:

SI. No.	Category		Minimum Qualification & Experience
1.	Stenographer Skilled		Must be Graduate and having shorthand speed of min 80 words per minute and typing speed of minimum 40 words per minute in English
2.	Multi-Tasking Staff UNSKILLED	01	Shall have passed VIII Standard

- 6.2 The above mentioned requirement of manpower may increase or decrease during the period of contract.
- BIS, JKBO would adopt suitable means of selection for assessing functional suitability of the personnel to be provided by the contractor. Therefore, contractor would be required to offer at least twice the number of personnel to be deployed for enabling selection by BIS, JKBO. Skilled personnel shall be utilized for providing any services under skilled category, if he has acquired the necessary qualification or skill, as per requirement of the Bureau.
- 6.4 The Contractor shall also ensure that for different services, only such smart intelligent, experienced and with specific qualifications are deployed in Bureau's premises who can cater to the requirements of Bureau's standards, failing which it shall be liable for Contractor to provide replacement immediately.

7. Contractor's Obligation

- 7.1 The Contractor shall provide manpower services at Bureau's premises as per Clause 6 which may be amended from time to time by the Bureau during the Contractual period and it shall always form part and parcel of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the Bureau from time to time.
- 7.2 Bureau shall have the right, within reason, to have any personnel removed who is considered to be undesirable or otherwise. However, the Contractor has no right to remove any personnel without prior intimation and approval of the Bureau, emergencies, exempted.
- 7.3 The Contractor shall exercise adequate supervision to ensure performance of Manpower services.
- 7.4 Adequate supervision shall be provided to ensure correct performance of the services in

accordance with the prevailing requirements agreed upon between the two parties.

- 7.5 All necessary reports and other information shall be supplied immediately as required and regular meetings will be held with the Bureau.
- 7.6 In case the Contractor fails to fulfil the minimum statutory requirements (ESIC/EPF) as per the conditions of the tender document and fails to produce the concerned documents, it shall be treated as breach of the Contract and the Contractor is liable to be blacklisted by the Bureau, in addition to forfeiting of the Performance Security.
- 7. 7 In case of breach of any conditions of the contract and for all types of losses caused including excess cost due to hiring manpower services in the event of Contractor failing to provide requisitioned number of manpower, the Bureau shall make deductions at double the rate of hiring rate on prorata basis from the bills preferred by the Vendor or that may become due to the Vendor under this or any other contract or from the performance security or may be demanded from him to be paid within seven days to the credit of the Bureau.
- 7.8 The Bureau reserves the right to monitor the clock-in time and clock-out time for the Contractor's employees as well as to give working instruction directly to the contactor's employees if in the opinion of the Bureau this is necessary.
- 7.9 The Supervisor, who has sound knowledge and experience in manpower services, shally be the person in-incharge of daily operation of manpower services responsible with the Bureau. These personnel shall be strong in supervisory and communication skill, initiative, enthusiastic and reliable. The Supervisor may be required to perform his duties outside the normal working hours at the Contractor's own cost.
- 7.10 <u>All manpower supplied by the contractor</u> should be observant keen, alert, willing and pleasant. Adequate training for the effective, respective jobs shall be provided by the Supervisor to guarantee a high standard of work.
- 7.11 Unless written consent is given by the Bureau, the Contract or any part, share, or interest in it, must not be transferred or assigned by the Contractor, directly or indirectly to any persons whomsoever.
- 7.12 The contractor's employees must observe all reasonable instruction of the Bureau.
- 7.13 The Bureau shall have power to vary the work reasonably described in the Specifications and Service Schedule and no variation shall void this contract.
- 7.14 All services performed under this contract shall be subject, before payment, to inspection by the Bureau who may withhold payment when in his opinion any service has not been performed in accordance with the requirements of the contract. Payment for services will be made monthly in arrears by the Bureau only if the services have been performed to the satisfaction of the Bureau.
- 7.15 The contractor shall be solely liable for and shall indemnify the Bureau in respect of any liability, loss, claim or proceeding whatsoever, arising under any legislation or at common law in respect of personal injury to or the death of any person whomsoever arising out of or in the course of or caused by the execution of the work whether or not due to his negligence and shall effect adequate insurance cover in respect of such risks

and shall furnish the Bureau with a copy of the insurance policy.

- 7.16 The Bureau has the right to verify the mandatory educational/technical qualifications, age-proof and experience certificates in respect of the manpower provided by the contractor in respective category, and reject them for suitable replacement if they found not fulfilling the requirement of the Bureau Contractor's Obligations with respect to the staff provided
- 7.17 The Contractor shall provide manpower services through its uniformed and trained personnel for the performance of its services hereunder and these personnel of the Contractor only and the Bureau shall not in any manner be liable and all statutory liabilities (such as ESI & EPF etc.) as shall be paid by the contractor.
- 7.18 The Contractor shall submit to Bureau the <u>complete</u> details of amount deposited on account of EPF and ESI in respect of the deployed personnel to the concerned authorities from time to time.
- 7.19 The wages/salary of the personnel deployed by the <u>contractor in BIS</u> shall be made credited directly in the Bank Account of the individual. The contractor shall submit a proof of the same to the Bureau.
- 7.20 The Contractor shall produce to the Bureau the details of payment of statutory benefits like bonus, leave, relief etc. from time to time to its personnel.
- 7.21 The contractor shall cover its personnel for personal accident and death whilst performing the duty and the Bureau shall own no liability and obligation in this regard.
- 7.22 The Contractor after setting antecedents verified from police authorities shall issue identity cards/identification documents to all its personnel who will be instructed by the Contractor to display the same. The Bureau has the right to inspect the performance of the personnel deployed by the contractor and order for replacing them if the performance is not satisfactory.
- 7.23 The personnel of the Contractor shall not be the personnel of the Bureau and they shall not claim and salary or allowances, compensation, damages or anything arising out their deployment/duty under this contract. The Contractor shall make them known about this position in writing before deployment under this agreement.
- 7.24 The Contractor shall also provide all benefits statutory or otherwise to its personnel and the Bureau shall not have any liability whatsoever on this account. The Contractor shall also abide by and comply with the Labour Laws, Workmen Compensation Act, EPF Laws, ESIC Laws, Income tax and Minimum Wages Laws, Contractor Labour (Regulations Abolition Act) or any other law in force.
- 7.25 The Contractor shall provide minimum of two sets each of summer and winter uniform to its personnel at its own cost.
- 7.26 The Contractor shall submit to Bureau a copy of wages sheet showing monthly wages paid to its personnel.
- 7.27 The Contractor shall not deploy any person below the age of 18 years old and more than 45 years old. Manpower engaged for the purpose shall be pre-trained and

experienced in requisite field.

8. Payment Terms

- 8.1 The payment towards the services will be made by the Bureau directly to the Contractor on receipt of bill on completion of month. The rates quoted shall be exclusive of any service tax or any other applicable taxes as may be levied by the Government from time to time and the same shall be charged in addition to the applicable rate/ Minimum Wages. Bureau will not pay wages to the contractor for the period of absence of, if any individual/personnel provided for by the contractor.
- 8.2 Bills for services provided under this contract shall be prepared in duplicate by the Contractor immediately after the completion of month and accepted by the Bureau. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made by Account Payee Cheque drawn in the name of the Contractor/credited directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.
- 8.3 The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.
- 8.4 The payment shall be made by the following formula with relevant changes as per above. The contractor shall also pay to his personnel by this formula. This formula takes care of all the paid weekly holidays, national holidays and other gazetted holidays.

Formula: Wages payable to individual =

[Total Monthly Wages as above / Total No. of days in the month] x No. of working days in the particular month by the individual.

- 9. Imposition of fines / penalty
- 9.1 The Contractor shall disburse wages to its deployed Manpower inclusive of DA, if any, latest by 10th of every month, failing which penalty as decided by the CA will be imposed upto 15th of the month and the contract shall be liable to be terminated. Performance Security is liable to be forfeited and Bank guarantee encashed. The Bureau will have the power to appoint any other contractor for the manpower services at the risk and cost of the Contractor.
- 9.2 Whenever and wherever it is found that the assigned work is not performed upto the entire satisfaction of the Bureau, it will be brought to the notice of Contractor by the Bureau and if no action is taken immediately, penalties will be imposed by invoking penalty clause as mentioned below and the amount of penalty shall be deducted from the bills of the contractor for the same month.

- 10. Indemnity:
- 10.1 The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.
- 10.2 The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.
- 11. Termination/Suspension of Contract
- 11.1 The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.
- 11.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
- (a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
- (b) Without reasonable excuse has failed to provide **manpower or Services** in accordance with this Contract within the time stipulated for completion;
- (c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
- (d) If the Contractor is in breach of any law or statute governing to provide manpower services;
- (e) The Contractor, in the judgement of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (f) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (g) The Contractor becomes insolvent;
- (h) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets:
- Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (j) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.
- 12. Termination by the Bureau

12.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

13 Contractor's right to terminate

13.1 If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 60 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire security deposit will be forfeited.

14 Force Majeure Clause

14.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, guarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final.

15 Corrupt or Fraudulent Practices

- 15.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
- (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and
- (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- 15.2 The Bureau will reject a proposal for award, if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract;

The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

16 Confidentiality

The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing manpower and services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

17 Publicity

Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

18 Disputes & Arbitration

18.1 The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

19 Mode of serving Notice

- 19.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 19.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

20 Governing language

20.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English/Hindi only.

21 Law

The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

22 Legal Jurisdiction

22.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Bari Brahmana only.

- 23 Stamp duty:
- 23.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

SCHEDULE -3

BLANK PAGE

SCHEDULE - 4: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

- 1. Proposed validity of the contract Three years. However, the contract would be reviewed and extended after every year subject to the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties.
- Availability of Tender Documents:
- a) Place: BIS, JKBO, Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133.and BIS website: www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in
- b) Period: 25 October 2016 to 16 November 2016
- 3. Pre-bid Conference: 1500 h on 9 November **2016** in the office of BIS, JKBO, Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133.
- 4. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at **1500 h on 16 November 2016** in the office Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu (J&K)-181133.. Date of opening of financial bid shall be decided after technical evaluation of the bid.
- 5. Method/manner for Submission of Bids An envelope super-scribing Tender for Manpower Services at Bureau of Indian Standards, JKBO, Bari Brahmana having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party and shall be addressed to "Section Officer, Bureau of Indian Standards Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133. by 1400 h on 16 November 2016._
- 6. Earnest Money Deposit: Rupees Twelve Thousand only (Rs. 10,000/-)
- 7. Performance Security Deposit: Rupees Twenty Two thousand only(Rs.22,000/-).
- 8. Validity of Bids: 90 days from opening of financial bid.
- 9. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract: Section Officer/or any other Officer authorized by the CA.

SCHEDULE - 5: FINANCIAL BID

(To be submitted in Financial Bid envelope)

Section Officer BUREAU OF INDIAN STANDARDS Jammu & Kashmir Branch Office (JKBO) Lane No. 4, SIDCO Industrial Complex Bari Brahmana, Jammu (J&K)- 181133

Bari Brah	mana, Jammu (J&K)- 1811	33		
Sir,				
Manpower	rence to your tender en Services at Bureau of Ind BO)at Bari Brahmana, Jamr	dian Standards,	Jammu & Kas	or providing hmir Branch en below:
Table-'A'				
SI.	Category	Tentative Requirement	Quoted Amount per person per Month (in figures)	Total Amount per month (in words)
	Skilled			
1.	<u>Stenographer</u>	01		Rupees
				only
2.	<u>Unskilled Category</u> Multitasking Staff	01		Rupees only

I/We have read the tender document and understood all the terms and conditions for providing manpower services as indicated in the Schedule-2 of the tender document.

Signature:_	
Date:	 -
Name:	
Address:	

Schedule-5 (Continued) (To be submitted in Financial Bid envelope)

TABLE-'B'

Head	Category		
Ticuu			
ITEM - A	Skilled	Unskilled	
i) Basic Minimum Wages			
including VDA (As per State Govt. minimum			
wages norms)			
wages norms)			
ii) ESI			
iii) EPF			
Others, if			
any ITEM-B			
i)			
ii)			
iii)		·	
iv)		•	
v) Profit/Service Charges (of			
the Agency) per head per			
month			
(in terms of fixed amount			
and not in terms of %age)			
Total Cost per Head per month			
Item (A) + (B) *			

Signature:	
Date:	
Name:	
Addross:	

 $^{^{\}ast}$ The total cost excluding the taxes (ST, EC, SBC etc.) shall appear in the column " quoted amount per head per month" in Table 'A'.Schdule-5

SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM

AGREEMENT

M/s (Nar as the CONTRACTOR, which meaning thereof, be deemed ONE PART and the Bureau Complex, Bari Brahmana, Jamm which expression shall, unle	on this day of 2016 between me and Address of the Contractor) (hereinafter referred to hexpression shall, unless it be repugnant to the context or doto mean and include its successors and assigns) of the of Indian Standards, JKBO, Lane No. 4, SIDCO Industrial mu (J&K)- 181133 (hereinafter referred to as the BUREAU), ass it be repugnant to the context or meaning thereof, be its successors and assigns) of the OTHER PART.
WHEREAS the Contractor is	a service provider.
	is a body corporate, enacted by Parliament. The Bureau ervices; therefore, invited bids through Open or Advertised
accordance with the bid docuthe bidding process and i	(successful bidder) submitted his bid vide in ument and was selected as 'successful bidder' pursuant to negotiation on contract prices, awarded the 'Letter of to the Contractor on
in	TO agree to abide the terms and conditions as mentioned Contract) of Tender Document". (To be inserted)
(Signature of Contractor/ Authorized Representative) Name	(Signature of Authorized Officer of the Bureau) Name
Designation	Designation
Address	•
	<u> </u>
Seal of the Firm/Company	Seal of the Bureau
Witness:	Witness:
(Signature)	(Signature)
Name of Witness	Name of Witness
Address	Address

SCHEDULE - 7: OTHER STANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE BIDDERS

1.	Annexure-1	FORM OF BANK GUARANTEE BOND (To be submitted by the bidder as Earnest Money and by successful bidder as performance security as applicable)
2.	Annexure-2	DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS (To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)
3.	Annexure-3	DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF SERVICES PROVIDED BY THE BIDDER DURING LAST 3 YEARS (To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)
4.	Annexure-4	DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR LITIGATIONS (To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)

Annexure –1 of Schedule 7

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

In consideration of Bureau of Indian Standards (hereinafter called 'The BUREAU') having agreed to exempt
(hereinafter called "the said Contractor(s)") from the demand under the terms and conditions of an Agreement dated made between
andfor
(hereinafter called "the said Agreement of security deposit for the due fulfillment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs (Rupees
Only) we, (hereinafter referred to as 'the bank') (indicate the name of the bank) at the request of [(Contractor (s) do hereby undertake to pay the
Bureau an amount not exceeding Rs against any loss or demand caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.
We do hereby undertake to (indicate the name of the bank)
pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Bureau of Indian Standards stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reasons of the Contractor (s) failure to perform the said

Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.

3. We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We, further agree that the Guarantee herein contained (indicate the name of Bank) shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Bureau under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the authorized officer of the Bureau certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and accordingly of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said
Contractor (s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
Shall(indicate the name of Bank)have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time to performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Bureau against the said Contractor (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor (s) or for any forbearance, act or commission on the part of the Bureau or any indulgence by the Bureau to the said Contractor (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect of so relieving us.
6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).
We,lastly undertake not to revoke this guarantee during (indicate the name of bank) its currency except with the previous consent of the Bureau in writing.
Dated theday of20 For
(indicate the name of bank)

Annexure-2 of Schedule 7

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

- 1. Name of the Firm/Company:
- 2. Name of the Contact person & Tel no./Mob:
- 3. Class of Registration with validity date:
- 4. Registration No. and Labour Licence:
- 5. Address for Communication:
- 6. Telephone No.:
- 7. E-mail:
- 8. Details of Proprietor/Partner/Director

Name	Address	Qualification and Experience

8. Annual Turnover of the Firm/Company during previous three Financial Years (Certified copies of audited Balance Sheet to be submitted):

Financial Year	Annual Turnover (Rs)	Copies of audited Balance
		Sheet enclosed (Yes/No)
Previous Financial Year		
(Y-I) 2015-16		
2nd Previous Financial		
Year (Y-2) 2014-15		
3rd Previous Financial		
Year (Y-3) 2013-14		

9. PAN, TIN Number of the Firm/Company:

- 10. Service Tax Registration No.:
- 11. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

	Name and Signature of the Firm/Company
Seal of the Firm/Company	
Dated:	
Place:	

Annexure –3 of Schedule 7

Details of the similar type of Services provided by the Bidder during last 3 years

Name of the Bidder:

Seal of the Firm/Company

Year	Name and Type of services provided	Name & Address of the Client	Value of Contract	Remarks
2015-16				
2014-15				
2013-14				

Note: - The turnover amount should be certified and audited by CA of firm and separate sheet should be enclosed

Signature of Bidder	
	Name & Address of Bidder

72

Annexure-4 of Schedule 7

I/we hereby declare that our Central Government/State Government/State Governme pending against the firm/comp	Government or PSU ent. I/we further declare	or other bodies that no criminal of	under the Central case is registered or

Date the	day of 20°
Signature of Bidder	
Name & Address of Bidder_	
Name & Address of bidder_	

Seal of the Firm/Company

Declaration regarding black-listing and/ or litigations